

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)

स्रोत: पी.आई.बी.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मशिन (NGHM) के तहत भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) शुरू की है।

- **परिचय:** यह पहल **ग्रीन हाइड्रोजन (GH)** उत्पादन को प्रमाणित करने के साथ इस क्षेत्र में **पारदर्शिता एवं बाज़ार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने** के क्रम में उन्नत ढाँचा निर्माण से संबंधित है।
- **उद्देश्य:** भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाज़ार को बढ़ावा देना, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
 - **कांडला, पारादीप और तूतीकोरनि** जैसे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह शहरों को निर्यात के क्रम में **ग्रीन हाइड्रोजन** उत्पादन के मुख्य केंद्र के रूप में चुना गया है।
 - इससे **ग्रीनवॉशिंग** (जिसमें कंपनियाँ झूठे दावे करके खुद को पर्यावरण अनुकूल बताती हैं) पर अंकुश लग सकेगा।
- **प्रमाणन प्रक्रिया:** अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा मान्यता प्राप्त **कार्बन सत्यापन (ACV) एजेंसी** द्वारा सत्यापित किया जाना शामिल है।
 - यह प्रमाणपत्र **हस्तांतरणीय** न होने के साथ **इसका व्यापार नहीं** किया जा सकता है तथा इसका उपयोग **उत्सर्जन कटौती क्रेडिट** का दावा करने के लिये भी नहीं किया जा सकता है।
 - BEE ने **CCTS** के तहत **ग्रीन हाइड्रोजन** का उपयोग करने वाले कुछ **वशिष्ट क्षेत्रों (जैसे सीमेंट)** के लिये ऑफसेट तंत्र की भी घोषणा की है ताकि उन्हें **ऋण अर्जति करने तथा व्यापार करने** में सहायता मिल सके।
- **प्रयोज्यता:** यह प्रमाणन योजना केवल **इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास के रूपांतरण से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन** पर लागू है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मशिन